

दसवीं अनुसूची
[धारा 82(3) और (5) देखिए]

टिप्पण :

1. इस अनुसूची में, "अध्याय" "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "टैरिफ मद" से, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का क्रमशः अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद अभिप्रेत हैं ।
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पणों तथा पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए साधारण नियम इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे ।

क्र० सं०	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	
10	1.	2701	कोयला; कोयले से विनिर्मित इष्टिका, अण्डाभ और इसी प्रकार के ठोस ईंधन	100 रुपए प्रति टन
	2.	2702	लिग्नाइट, चाहे संपीडित है या नहीं, जैट को छोड़कर	100 रुपए प्रति टन
	3.	2703	पीट (जिसके अंतर्गत पीट लिटर भी है) चाहे संपीडित है या नहीं	100 रुपए प्रति टन